

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा
पत्रांक-

प्रेषक,

प्रभारी पदाधिकारी
सामान्य शाखा मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
(मधेपुरा/सिंहेश्वर/गम्हरिया/पुरैनी/उदाकिशुनगंज को छोड़कर)
सभी अंचल अधिकारी
(सिंहेश्वर/गम्हरिया/कुमारखंड/घैलाढ/पुरैनी/उदाकिशुनगंज को छोड़कर)

मधेपुरा, दिनांक मार्च, 2016

विषय- उर्दू में नाम पट्ट लगाने के संबंध में।

प्रसंग- इस कार्यालय का पत्रांक-1787 दिनांक-31.12.2014 एवं स्मार
पत्रांक- 180 दिनांक- 03.02.2015, पत्रांक-808 दिनांक-16.07.
2015, पत्रांक-901 दिनांक-05.08.2015, पत्रांक-101 दिनांक-
20.01.2016 एवं अंतिम स्मार पत्रांक-211 दिनांक-02/02/2016

महशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा आप सभी से बिहार राज्य
अल्पसंख्यक, आयोग, बिहार पटना के निदेशानुसार उर्दू में नाम पट्ट लगाने के
संबंध में प्रतिवेदन की मांग एक सप्ताह के अंदर की मांग की गई थी, जो
अबतक अप्राप्त है।

विदित हो कि सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पटना के द्वारा प्रतिवेदन अबतक उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण माननीय
अध्यक्ष ने इसे संज्ञान में लिया है क्योंकि बिहार राज्य अल्पसंख्यक अधिनियम
1991 की धारा-06 के प्रतिकूल है।

अतः अनुरोध है कि पत्र प्रप्ति के एक सप्ताह के अंदर यथा वांछित
प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

क्लियासभाजन

80/-

प्रभारी पदाधिकारी
सामान्य शाखा, मधेपुरा।

ज्ञापांक-682/सा0,मधेपुरा दिनांक-22 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से निदेशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि इस पत्र को सभी सम्बंधितों को ईमेल करने की कृपा की जाय।

AKL
22/4/16

प्रभारी पदाधिकारी
सामान्य शाखा, मधेपुरा।

18/04/16

(109)

जिला सूचना एवं
विज्ञान अधिकारी,
मधेपुरा